राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

—: तार्किक आदेश :—

वाद संख्या—विधि 60—30 / 2026..... पटना, दिनांक—

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद—C.W.J.C.No- 4771/2026 मिथिलेश राय उर्फ मिथिलेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक—06.04.2026 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :—

"(3) Learned counsel for the petitioner pray for a direction to the respondent the State Election Commission, Bihar, Patna, (respondent no.3) to dispose of the representation filed by the petitioners. Brought on record as Annexure P/1 to the application.

(4) Having heard learned counsel for the parties and having perused the contents of the petition, the writ application is disposed of directing the petitioners to file a fresh representation along with the copy of this order within a period of four weeks.

(5) On filing of the same, the respondent no.3 shall decide/dispose of the same within a period of two months from the date of its filing."

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक—24.04.2026 को आयोग में दिये गये representation पर आयोग में वाद पर सुनवाई दिनांक—15.05.2026 को की गई।

3. वादी श्री मिथिलेश राय उर्फ मिथिलेश कुमार (अध्यक्ष, बिहार राज्य मुखिया महासंघ, बिहार), श्री अमोद कुमार निराला, श्रीमती जयमाला कुमारी एवं श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव द्वारा आयोग में स्वयं अपना पक्ष रखा गया। साथ ही साथ उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन भी उपस्थित रहे।

4. चारों वादियों द्वारा आयोग के समक्ष पंचायतों के पुर्नगठन एवं परिसीमन विगत 30 वर्षों से अधिक समय से लम्बित रहने के कारण क्षेत्र में उत्पन्न विसंगतियों एवं विकासात्मक कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की तरफ आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया। उनके द्वारा तर्क दिया गया कि परिसीमन नये सिरे से नहीं होने के कारण पंचायतों का वास्तविक विकास प्रभावित हो रहा है क्योंकि 1991 की जनगणना की तुलना में पंचायतों की आबादी लगभग दोगुनी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कई पंचायत वर्तमान में दो से तीन पंचायतों में विभक्त हो सकता है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नये पंचायतों का गठन नहीं करने से आरक्षण की नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि पंचायतों एवं पंचायती राज संस्थाओं में पदों की संख्या कम रहने से उसमें निर्वाची होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी कम संख्या में ही हो पाता है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य में विकास के साथ शहरीकरण की प्रक्रिया भी तीव्र गति से हुई है, जिसके कारण कई पंचायत शहरी क्षेत्र में समाहित हो गये हैं तथा पंचायतों के स्वरूप में भारी विसंगति उत्पन्न हो गयी है। पंचायतों के शहरी क्षेत्र में मिलने से कई पंचायत समिति सदस्यों के क्षेत्र एक या दो वार्ड की जनसंख्या तक समिति रह गयी है। ठीक इसी प्रकार कई पंचायत काफी कम आबादी पर कार्यरत हैं। जिला परिषद् सदस्य के मामले में भी यही विसंगति दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण स्वरूप उनके द्वारा बताया गया कि जिला खगड़िया में तीन पंचायत मिलाकर मात्र एक जिला परिषद का चयन हुआ है। ठीक इसी प्रकार बेतिया प्रखंड बिलकुल विलोपित हो चुका है।

उपस्थित वादियों द्वारा आयोग को बताया गया कि कई राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि सभी राज्यों मे लगातार परिसीमन कराया जाता रहा है। उनके द्वारा 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन कराया गया है एवं इसे अद्यतन भी कराया जा रहा है।

आगे वादियों द्वारा आयोग को बताया गया कि परिसीमन नहीं कराने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन होता है क्योंकि सभी आबादी को सही प्रतिनिधित्व नहीं देने से समानता के अधिकार का हनन होता है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 243(ग) के तहत ही पंचायतों का गठन जनसंख्या के अनुपात में किया जाना आवश्यक है।

वादियों द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 127 के अवरोध को तथा जनगणना संबंधी अवरोधों को पंचायत आम निर्वाचन, 2026 को कुछ समय के लिए टाल कर दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 127 में आवश्यक संशोधन कर तथा पंचायत आम निर्वाचन, 2026 को 6–8 माह के लिए स्थगित कर परिसीमन के उपरान्त निर्वाचन कराया जा सकता है। **इस प्रकार उनके द्वारा परिसीमन हेतु सुझाव के साथ अंतिम रूप से परिसीमन कराये जाने की मांग की गयी।**

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में आयोग द्वारा वादियों की तरफ से दिये गये Representation तथा उनके तर्कों का परिसीलन किया गया, तो यह पाया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 127 में जनगणना के पश्चात पंचायती राज संस्था में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के निर्धारण के संबंध में प्रावधान हैं, जो निम्नवत् हैं–

"127 जनगणना के पश्चात निर्वाचित सदस्यों का अवधारण– प्रत्येक जनगणना के आंकड़े के प्रकाशन के पश्चात पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अवधारण राज्य सरकार द्वारा जनगणना में निर्धारित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु पूर्वोक्त संख्या के निर्धारण से पंचायत इकाई की संरचना पर तबतक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबतक कि तत्समय कार्यरत निर्वाचित सदस्यों की पदावधि समाप्त न हो जाये।

परन्तु आगे यह कि जबतक [2021] की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि [2011] की जनगणना पर विनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निधारण करें।"

उक्त वैधानिक प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रत्येक जनगणना के उपरान्त पंचायती राज संस्था के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में किसी प्रकार के परिवर्तन की शक्ति राज्य सरकार अर्थात् पंचायती राज विभाग में अन्तर्निहित है।

आयोग द्वारा पुनः उक्त अधिनियम की धारा 11(1) का पर विचार किया गया, जो निम्नवत् है–"ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा– सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना निकालकर किसी स्थानीय क्षेत्र को, जिसमें कोई गाँव या निकटस्थ गाँव के समूह या उसका कोई भाग होगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगा जिसके क्षेत्र की जनसंख्या, यथा संभव सात हजार के निकटतम होगी,

परन्तु जिला दंडाधिकारी संबद्ध ग्राम पंचायत के परामर्श कर अधिसूचना द्वारा किसी भी समय उस ग्राम पंचायत में किसी गाँव या उसके किसी भाग को शामिल या उससे अलग कर सकेगा और ग्राम पंचायत के नाम को बदल सकेगा।"

पंचायतों के गठन संबंधी उक्त प्रावधान से भी स्पष्ट है कि नये पंचायतों का गठन/परिसीमन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक की राज्य सरकार द्वारा गठन के संबंध में कोई सामान्य या विशेष आदेश निर्गत नहीं किया जाता।

उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्था के निर्वाचित होने वाले पदों के गठन, पुनर्गठन अथवा परिसीमन या उनके संख्या में वृद्धि/कमी करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार में निहित नहीं है। अतएव वादियों के अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु वादीगण अपने अनुरोध को सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

उक्त आदेश के साथ दायर representation को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।
23.06.2026

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।
23.06.2026

ज्ञापांक– विधि 60–30/2026......... पटना, दिनांक...................................../–

प्रतिलिपि :– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– विधि 60–30/2026...2575... पटना, दिनांक...23.6.26.../–

प्रतिलिपि :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण, वैशाली, पटना एवं खगड़िया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण, वैशाली, पटना एवं खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण, वैशाली, पटना एवं खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि आदेश के प्रति वादियों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन 24 घंटों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

23/6/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।